



छत्तीसगढ़ विधान सभा

षष्ठम विधान सभा - चतुर्थ सत्र

(दिनांक 16 दिसम्बर, 2024 से 20 दिसम्बर, 2024 तक)

सत्रावधि में संपादित कार्यों की सांख्यिकीय जानकारी

सत्र की अवधि	05 दिन
बैठकों की संख्या	04
प्रश्नों पर चर्चा	03 घंटे 02 मिनट
द्वितीय अनुपूरक	05 घंटे 52 मिनट
बैठकों में लगा कुल समय	21 घंटे 05 मिनट

प्रश्न

सूचनाएं प्राप्त	814
तारांकित प्रश्न	420
अतारांकित प्रश्न	394
ग्राह्य तारांकित	382
ग्राह्य अतारांकित	361
कुल ग्राह्य तारांकित एवं अतारांकित	743
सदन में उत्तरित	21
माननीय सदस्य द्वारा वापस	01

नियम 52 के अधीन आधे घंटे की चर्चा

प्राप्त सूचना	01
---------------	----

शासकीय विधेयक

सूचनाएं प्राप्त	07
सदन में पारित	07 (एक विनियोग सहित)

स्थगन प्रस्ताव

कुल प्राप्त सूचनाएं	135
अग्राह्य	135
ग्राह्यता पर चर्चा	01

ध्यानाकर्षण सूचनाएं

कुल प्राप्त सूचनाएं	288
ग्राह्य	85
अग्राह्य	195
शून्यकाल में परिवर्तित	08

नियम 267-क के अंतर्गत विषय

कुल प्राप्त सूचनाएं	57
ग्राह्य	07
अग्राह्य	42
ध्यानाकर्षण से परिवर्तित	08

अशासकीय संकल्प

प्राप्त सूचनाएं	12
ग्राह्य	09
अग्राह्य	03
सदन में प्रस्तुत	03 (01 स्वीकृत, 01 वापस, 01 व्यपगत)

याचिकाएं

प्राप्त सूचनाएं	182
ग्राह्य	56

अग्राह्य	65
विचाराधीन याचिकाएं	61

अध्यादेश

प्राप्त अध्यादेश	05
पटल पर रखे गये	05

अधिसूचना का पटल पर रखा जाना

प्राप्त अधिसूचना	03
पटल पर रखे गये	03

वित्तीय कार्य

वित्तीय वर्ष 2024-2025 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन, विचार तथा पारण

राज्य के विभिन्न निगम/मंडल/आयोगों के प्रतिवेदन का पटल पर रखा जाना

प्राप्त प्रतिवेदन	08
पटल पर रखे गये	08

विधान सभा की समितियों के प्रतिवेदन का पटल पर रखा जाना

1. कार्य मंत्रणा समिति	01
2. सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति	11
3. प्राक्कलन समिति	01
4. गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति	01

राज्य के बजट से संबंधित जानकारियों का पटल पर रखा जाना

- (1) छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 (क्रमांक 16 सन् 2005) की धारा 6 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार बजट अनुमान 2024-2025 के संदर्भ में प्रथम तथा द्वितीय तिमाही के आय तथा व्यय की प्रवृत्तियों की समीक्षा।

- (2) भारत के संविधान के अनुच्छेद-151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त छत्तीसगढ़ राज्य के वर्ष 2023-2024 के वित्त लेखे खण्ड-1 एवं खण्ड-2 तथा विनियोग लेखे।

<p>पुस्तकालय, संदर्भ एवं अनुसंधान सेवा</p>	<p>माननीय सदस्यों द्वारा अनुपूरक बजट पर चर्चा की कार्यवाहियों का पुस्तकालय अध्ययन कक्ष में अध्ययन/अवलोकन किया गया।</p>
<p>छत्तीसगढ़ विधान सभा की वेबसाईट</p>	<p>छत्तीसगढ़ विधान सभा की वेबसाईट में दिनांक 16 दिसम्बर से 20 दिसम्बर, 2024 तक सत्रावधि के दौरान वेबसाईट पर सत्र संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई गई। ई-विधान पोर्टल पर सभा से संबंधित पटल पर रखे गये साहित्य अपलोड किये गये। छत्तीसगढ़ विधान सभा मोबाईल एप्प पर कार्यसूची, प्रश्नोत्तरी, सभा की कार्यवाही, संक्षिप्त कार्य विवरण, पत्रक भाग-2 तथा अन्य महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध करायी गयी।</p>
<p>छत्तीसगढ़ विधान सभा प्रवेश</p>	<p>प्रवेश पत्र कार्यालय द्वारा अध्यक्षीय दीर्घा के 620, प्रतिष्ठित दीर्घा के 1020 एवं दर्शक दीर्घा के 3000 प्रवेश पत्र जारी किये गये ।</p>